

प्रेस नोट थाना खजनी जनपद गोरखपुर दिनांक 05.11.2024

हत्या का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर 15,000 रू0 का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष खजनी सदानन्द सिन्हा के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 212/2019 धारा 302,201 भादवि से संबंधित इनामिया/वांछित अभियुक्त शनि सिंह उर्फ झिन्नन उर्फ वशिष्ठ मुनी पुत्र किशोर सिंह निवासी ग्राम मालहनपार थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 13.10.2019 को वादिनी के पति विरेन्द्र बेलदार की हत्या करने के सम्बन्ध मे वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना खजनी पर मु0अ0सं0 212/2019 धारा 302,201 पंजीकृत हुआ। जिसमें मफरूरी में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था तथा दिनांक 10.07.2023 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा 15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शनि सिंह उर्फ झिन्नन उर्फ वशिष्ठ मुनी पुत्र किशोर सिंह निवासी ग्राम मालहनपार थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 212/2019 धारा 302,201 भादवि थाना खजनी जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0- 38/2021 धारा 174ए भादवि थाना खजनी जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. थानाध्यक्ष सदानन्द सिन्हा थाना खजनी जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 विवेक चतुर्वेदी थाना खजनी जनपद गोरखपुर
3. का0 जितेन्द्र यादव थाना खजनी जनपद गोरखपुर
4. का0 अशोक यादव थाना खजनी जनपद गोरखपुर
5. का0 रामेन्द्र वर्मा थाना खजनी जनपद गोरखपुर
6. का0 राहुल यादव थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर